माननीय न्यायमूर्ति मेहर सिंह सी.जे. और आर. एस. नरूला, के समक्ष

लक्ष्मी शुगर मिल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड - अपीलकर्ता

बनाम

राष्ट्रीय औद्योगिक निगम लिमिटेड- उत्तरदाता

1965 का एल.पी.ए. नं. 282

28 नवंबर, 1967

कंपनी अधिनियम - (1956 का I) - धारा 433 (ई) और 434 (1) (ए) - किसी कंपनी को बंद करना - कब आदेश दिया जाना है - कंपनी - कब माना जाये कि वह अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है - ऋण की वसूली के लिए मुकदमा दायर करना बंद करने की याचिका का डर बनता है - क्या याचिका को समाप्त करने के लिए अच्छा बचाव है - "दायित्व"- इसका अर्थ - किसी कंपनी को बंद करने से इनकार करने वाला विवेकाधीन आदेश - अपील में कब हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।

यह अभिनिर्णित किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 434 (1) (ए) के साथ धारा 433 (ई) के तहत कंपनी के समापन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

(i) एक वित्तीय रूप से विलायक कंपनी जो तथ्यात्मक रूप से अपने सभी ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में है, फिर भी अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत न्यायालय के आदेश द्वारा बंद होने का दायित्व उठा सकती है यदि संबंधित लेनदार धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के चार कोनों के भीतर मामले को लाने में सक्षम है;

(ii) यदि कोई देनदार-कंपनी स्वीकृत ऋण की राशि का भुगतान करने में विफल रहती है या भुगतान करने से इनकार करती है जो न तो दिवालिया नोटिस की तारीख को भुगतान के लिए देय थी और न ही ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर किसी भी समय देय थी, तो कंपनी को धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर ऋण का भुगतान करने में उपेक्षित नहीं माना जा सकता है क्योकि अभिव्यक्ति के रूप में उस प्रावधान में देय " उसमें उल्लिखित नोटिस की सेवा के समय-समय पर संदर्भ है।

(iii) भुगतान करने की देयता के बारे में एक ऋण, या भुगतान करने की देयता के बारे में, जिसे दिवालिया नोटिस की सेवा के समय, एक वास्तविक विवाद है, धारा 434 (1) (ए) के अर्थ के भीतर "देय" नहीं है और ऐसे *वास्तविक* विवादित ऋण की राशि का भुगतान न करने को धारा 433 (ई) के तहत अधिनियम की धारा 434 (1)

(ए) के साथ देयता को वहन करने के लिए "भुगतान करने की उपेक्षा" नहीं कहा जा सकता है।

(iv) अधिनियम की धारा 433(ई) के साथ-साथ धारा 434(1)(क) के अंतर्गत समापन याचिका में, देनदार-कंपनी के लिए यह कहना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि लेनदार ने विवाद में ऋण की राशि की वसूली के लिए एक सक्षम सिविल न्यायालय में पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है;

(v) यद्यपि हरिनगर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा न्यायसंगत ऋण के भुगतान को लागू करने के लिए समापन याचिका पूरी तरह से उचित उपाय है, तथापि यह उपाय न्यायसंगत है और अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत समापन आदेश पारित करना अपने आप में न्यायालय के सुदृढ़ न्यायिक विवेक अधिकार में है। प्रावधान के तहत एक आदेश को *न्याय* या अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है,

यह अभिनिर्णित किया गया है कि "देयता" शब्द वह जीनस है जिसमें "जमा" और "ऋण" अन्य प्रजातियों के बीच केवल दो हैं। कोई विशेष देयता जमा की प्रकृति में भाग लेती है या नहीं, यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तथ्य के निर्धारण के लिए कोई निर्णायक परीक्षण करना न तो आसानी से संभव है और न ही उचित है कि लेनदार को देय विशेष राशि देनदार के हाथों में है या नहीं। उसी समय यह स्पष्ट है कि "एक ऋण" और "एक जमा" आवश्यक रूप से पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं। एक जमा राशि विशिष्ट मुद्रा के भंडार तक ही सीमित नहीं है, जिसे विशेष रूप से वापस किया जाना है न ही एक जमा में आवश्यक रूप से एक ट्रस्ट का निर्माण शामिल है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से एक देनदार और लेनदार के रिश्ते का निर्माण शामिल हो सकता है। परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में भी एक अंतर देखा गया है कि जबकि एक जमा जो एक निश्चित अवधि के लिए नहीं है, जमाकर्ता पर जमाकर्ता की तलाश करने और उसे चुकाने के लिए तत्काल दायित्व नहीं लगाता है, इसके विपरीत एक शर्त के अभाव में देनदार पर एक कानूनी कर्तव्य लगाया जाता है, लेनदार की तलाश करना। जबकि भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत जमा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने का समय आम तौर पर उस तारीख से पहले की किसी भी तारीख से नहीं चलता है, जिस दिन भुगतान की मांग की जाती है, उस राशि के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा उस दिन से शुरू होती है जब भुगतान सीमा की अनुसूची में विभिन्न प्रासंगिक लेखों के तहत देय हो जाता है;

यह माना गया कि अधिनियम की धारा 433 के तहत एक कंपनी को बंद करने से इनकार करने जैसे विवेकाधीन आदेश के खिलाफ वैधानिक अपील में, हस्तक्षेप आमतौर पर उचित

नहीं है जब तक कि अपीलीय न्यायालय संतुष्ट न हो कि नीचे दिए गए न्यायालय ने ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग नहीं किया है।

पंजाब उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत लेटर्स पेटेंट अपील, जिसे *कंपनी अधिनियम*, 1956 की धारा 483 के साथ पढ़ा जाता है, माननीय *न्यायमूर्ति हरबंस सिंह के दिनांक 2 अगस्त,* 1965 के आदेश के खिलाफ है *सी ओ* 8/1964।

भागीरथ डी एएस और एच इराजी, वकील- अपीलकर्ताओं के लिए।

बी. आर. टी. उली, एस. एस. के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता एम अहाजन, वकील- प्रतिवादी के लिए ।

निर्णय

माननीय न्यायमूर्ति आर.एस. नरूला -

यह इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ पेटेंट पत्र के खंड 10 के तहत एक अपील है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम (1956 का 1) (इसके बाद अधिनियम कहा जाता है) की धारा 433 (ई) के साथ धारा 434 (1) (ए) के तहत प्रतिवादी-कंपनी को बंद करने के लिए अपीलकर्ता के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि यह *प्रामाणिक था* की दिवाला नोटिस की सेवा की तारीख पर ऋण की राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-कंपनी की देयता के बारे में विवाद, इस अपील को दायर करने के लिए जिन संक्षिप्त तथ्यों का कारण बना है, उनका पहले सर्वेक्षण किया जा सकता है।

अपीलकर्ता को दिल्ली में एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी के प्रवर्तकों में राम रतन, रामजी दास और पुरुषोत्तम प्रसाद शामिल थे। कंपनी के पास अब दो चीनी मिलें हैं, एक महोली, जिला सीतापुर में और दूसरी बिलारी जिला मुरादाबाद में। उत्तरदाता-कंपनी को 1942 में शामिल किया गया था। इसके अग्रदूतों में राम रतन और रामजी दास शामिल थे। अभी भी एक और कंपनी सेठ ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड, अस्तित्व में आया था, राम रतन और पुरुषोत्तम प्रसाद ऊपर कंपनी के निदेशक थे। सेठ ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड को प्रतिवादी-कंपनी के प्रबंध एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रबंध एजेंसी करार, जिसे हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है, प्रबंध एजेंटों को कतिपय पारिश्रमिक का हकदार बनाता है। तीनों कंपनियों के अधिकांश निदेशक या तो सामान्य थे या एक-दूसरे से संबंधित थे।

प्रतिवादी-कंपनी से प्रबंध एजेंट कंपनी को देय भुनाए गए शेयरों के मूल्य के कारण पारिश्रमिक की राशि और कुछ राशि बाद में कंपनी द्वारा नहीं ली गई थी, लेकिन प्रतिवादी-कंपनी की

पुस्तकों में प्रबंध एजेंट कंपनी के क्रेडिट पर रखी गई थी। टाइल उक्त राशि पर अर्जित ब्याज भी समय-समय पर प्रतिवादी-कंपनी के साथ प्रबंध एजेंट कंपनी के खाते में जमा किया गया था। 30 अप्रैल, 1963 की स्थिति के अनुसार प्रतिवादी-कंपनी के बही-खातों में 2,17,000 रुपये से अधिक की राशि को प्रबंध एजेंट, कंपनी के पारिश्रमिक आदि के बकाया के रूप में दर्शाया गया था। प्रबंध एजेंट कंपनी 8,00,000 रुपये से अधिक की राशि के लिए अपीलकर्ता-कंपनी की ऋणी थी। 30 अप्रैल, 1963 को, प्रबंध एजेंट कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी के वाउचर प्रदर्शनी पृष्ठ 25 के माध्यम से प्रबंध एजेंट कंपनी के ऋणों के आंशिक भुगतान में अपीलकर्ता-कंपनी को प्रतिवादी-कंपनी से देय राशि में से 216,122.37 रुपये का क्रेडिट हस्तांतरित किया। प्रतिवादी-कंपनी की पुस्तकों में, उपरोक्त राशि प्रबंध एजेंट कंपनी को डेबिट की गई थी और अपीलकर्ता-कंपनी के खाते में जमा की गई थी। अपीलकर्ता-कंपनी के 13 जुलाई, 1963 के संकल्प प्रदर्शनी पी.6 द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक में इस ऋण के असाइनमेंट को स्वीकार कर लिया गया था, जिसमें रामजी दास, जो प्रतिस्पर्धा समूह का नेतृत्व कर रहे हैं, स्वयं उपस्थित थे। प्रस्ताव प्रदर्शनी पी.6 में यह उल्लेख किया गया कि सेठ ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड से उक्त तरीके से 2,16,122.37 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई थी। यह विवादित नहीं है कि यह लेनदेन उस समय हुआ था जब कंपनियों के विभिन्न निदेशकों के बीच विवाद उत्पन्न हुए थे और उस समय एक समूह का नेतृत्व राम रतन और किशोरी लाल और दूसरे का नेतृत्व रामजी दास ने किया था, हालांकि अपीलकर्ता-कंपनी के साथ-साथ प्रतिवादी-कंपनी का नियंत्रण उस समय राम रतन के समूह के हाथों में था।

15 अक्टूबर, 1963 को, अपीलकर्ता-कंपनी ने अपीलकर्ता के वकील के माध्यम से नोटिस प्रदर्शनी पृष्ठ 7 दिया, जिसमें 20 सितंबर, 1963 तक प्रतिवादी-कंपनी से 2,38,458.82 रुपये की राशि की मांग की गई, जिसमें सेठ ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी को हस्तांतरित प्रतिवादी-कंपनी का ऋण भी शामिल था। नोटिस को विशेष रूप से अधिनियम की धारा 434 के तहत बताया गया था और प्रतिवादी-कंपनी को पत्र प्राप्त होने के तीन सप्ताह की अवधि के भीतर देय राशि का भुगतान करने के लिए कहा गया था, जिसमें विफल रहने पर अधिनियम की धारा 433 के तहत कार्यवाही की धमकी दी गई थी। प्रतिवादी-कंपनी ने स्वीकार किया कि नोटिस प्राप्त किया और 17 अक्टूबर, 1963 को एक जवाब भी भेजा। किसी भी पक्ष द्वारा इस मामले के रिकॉर्ड पर जवाब की कोई प्रति नहीं रखी गई है। उत्तर प्राप्त होने पर; यह मामला अपीलकर्ता कंपनी के निदेशक मंडल की 18 अक्टूबर 1963 को हुई बैठक में रखा गया था। सेठ रामजी दास स्वयं बैठक में उपस्थित थे। उस दिन अपीलकर्ता-कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा पारित प्रस्ताव की एक प्रति (प्रदर्शनी पृष्ठ 8) से पता चलता है कि बोर्ड ने दिवाला नोटिस, प्रदर्शनी पी. 7 की पुष्टि की और प्रतिवादी-कंपनी के 17 अक्टूबर, 1963 के जवाब को नोट किया, और इस तथ्य पर भी ध्यान दिया कि सेठ रामजी दास ने धारा 434 के तहत विचार की गई कार्रवाई का विरोध किया और सुझाव दिया कि प्रतिवादी-कंपनी को दो

साल की अवधि दी जाए। लेकिन बोर्ड इस सुझाव से सहमत नहीं हुआ और यह संकल्प लिया गया कि नोटिस में बताए गए एक आवेदन को उच्च न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। बेशक, नोटिस में मांगी गई राशि का कोई भी हिस्सा प्रतिवादी-कंपनी द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी को भुगतान नहीं किया गया था।

उपरोक्त परिस्थितियों में, अपीलकर्ता ने 10 मार्च, 1964 को अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत प्रतिवादी-कंपनी को बंद करने के लिए इस आधार पर याचिका दायर की कि प्रतिवादी-कंपनी अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ थी। याचिका को रामजी दास के नेतृत्व में शेयरधारकों के एक समूह ने चुनौती दी थी। याचिका के लंबित रहने के दौरान दिसंबर, 1964 में न्यायालय की निगरानी में प्रतिवादी-कंपनी की एक आम बैठक आयोजित की गई थी। उस अवसर पर प्रतिवादी-कंपनी द्वारा आयोजित निदेशक मंडल के चुनाव में, रामजी दास सत्ता में आए और प्रतिवादी-कंपनी का नियंत्रण किया। 31 मार्च, 1964 को प्रतिवादी-कंपनी की तुलन-पत्र में, जिसे उक्त बैठक में पारित किया गया था, 2,80,978.51 रुपये की राशि (जिसमें सेठ ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी को हस्तांतरित ऋण की राशि शामिल थी) को अपीलकर्ता-कंपनी को देय दिखाया गया था, जिसे बैलेंस-शीट में "प्रबंध एजेंट का सहयोगी" के रूप में वर्णित किया गया था। दिसंबर, 1964 में आयोजित आम बैठक के बाद, प्रतिवादी-कंपनी स्वयं भी मैदान में आई और समापन के लिए याचिका का विरोध किया, प्रतिवादी-कंपनी की ओर से इस बात से इनकार नहीं किया गया कि 2,16,122 रुपये की राशि, जिसे प्रबंध एजेंटों द्वारा प्रतिवादी-कंपनी में अपने क्रेडिट खाते से अपीलकर्ता-कंपनी को हस्तांतरित किया जाना था, वास्तव में प्रबंध एजेंटों के कारण थी। प्रतिवादी-कंपनी की स्थिति यह थी कि एक निश्चित समझौते के तहत, जिसमें प्रबंध-एजेंट कंपनी के सभी निदेशक पक्षकार थे, प्रबंध एजेंट 1967 तक प्रतिवादी-कंपनी से संबंधित राशि का दावा नहीं कर सकते थे, और इसलिए, प्रबंध एजेंटों द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी को राशि का कथित हस्तांतरण *दुर्भावनापूर्ण* और सहयोगीथा। आगे यह आरोप लगाया गया कि अपीलकर्ता-कंपनी प्रबंध एजेंटों की सहयोगी होने के नाते (जैसा कि प्रतिवादी-कंपनी के बैलेंस-शीट, प्रदर्शनी नियम 1/3 में स्वीकार किया गया है) ने इस पूर्ण ज्ञान के साथ यह हस्तांतरण प्राप्त किया कि प्रबंध एजेंट उस समय ऋण की राशि की वसूली नहीं कर सकते थे। प्रतिवादी-कंपनी का मामला यह था और अब भी है कि प्रतिवादी-कंपनी ने उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम से 4,50,000 रुपये का ऋण लिया था, जिसे किस्तों में चुकाया जाना था, अंतिम बार 1967 में देय था, और वित्त निगम और प्रतिवादी-कंपनी के बीच किए गए समझौते के खंड 22 में निम्नानुसार प्रावधान किया गया था: -

> "कंपनी (प्रतिवादी) ऋण की मुद्रा (वित्त निगम से लिया गया ऋण) के दौरान अब जमा की गई किसी भी राशि का पुनर्भुगतान नहीं करेगी या इसे वापस लेने की अनुमति नहीं देगी, या इसके बाद निदेशकों, प्रबंध एजेंटों या बिक्री एजेंटों द्वारा अपने स्वयं के नाम

पर या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर, किसी अन्य व्यक्ति या पार्टियों द्वारा जमा नहीं की जाएगी ताकि ऐसी जमा की कुल राशि 4,50,000 रुपये से कम हो जाए।

2 अगस्त, 1965 के अपने फैसले से, विद्वान परिसमापन न्यायाधीश ने इस आधार पर समापन के लिए याचिका को खारिज कर दिया कि नोटिस प्राप्त होने की तारीख पर दिवाला नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए प्रतिवादी-कंपनी की देयता के बारे में वास्तविक विवाद था और यह कि एक *प्रामाणिक* विवाद की उपस्थिति में यह नहीं माना जा सकता है कि प्रतिवादी-कंपनी ने अधिनियम की धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर नोटिस में दावा की गई राशि का भुगतान करने की उपेक्षा की थी। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले से संतुष्ट, अपीलकर्ता-कंपनी अपील में आई है।

अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील श्री भागीरथ दास ने निष्पक्ष और स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि धारा 433 के खंड (ई) के तहत उनके ग्राहकों का मामला धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) से संबंधित आरोपों तक ही सीमित है, और यह उनका मामला नहीं है कि प्रतिवादी-कंपनी अन्यथा धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (सी) के संदर्भ के अनुसार अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि जिस ऋण का भुगतान न करने के लिए समापन का दावा किया जा रहा है, वह उस राशि तक ही सीमित है जो प्रबंध एजेंटों द्वारा अपीलकर्ता-कंपनी को हस्तांतरित करने की विषय-वस्तु थी। अपीलकर्ता-कंपनी के वकील ने इस प्रस्ताव पर भी सवाल नहीं उठाया है कि यदि उक्त नोटिस दिए जाने की तारीख पर दिवाला नोटिस में दावा की गई राशि का भुगतान करने के लिए देनदार-कंपनी की देयता के बारे में वास्तव में कोई वास्तविक विवाद है, तो धारा 434 (1) (ए) के तहत आने वाले आधार पर बंद करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता है क्योंकि उन परिस्थितियों में कंपनी को भुगतान करने में उपेक्षित नहीं ठहराया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील द्वारा पूछा गया एकमात्र सवाल यह था कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि विचाराधीन ऋण *वास्तविक* विवादित था , सही नहीं है।

श्री भागीरथ दास ने ***बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी बनाम इस्माइल गोलम हुसैन आरिफ, एआईआर 1962 कलकत्ता 115*** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय की खंडपीठ के एक फैसले पर भरोसा करते हुए प्रस्तुत किया कि चूंकि दिसंबर, 1964 में आयोजित प्रतिवादी-कंपनी की आम बैठक में पारित प्रतिवादी-कंपनी की बैलेंस शीट प्रदर्शनी आरडब्ल्यू 1/3 (समापन याचिका के लंबित होने के दौरान) में विवाद में राशि को प्रतिवादी-कंपनी द्वारा बकाया ऋण के रूप में दिखाया गया था। अपीलकर्ता-कंपनी के लिए, यह उत्तरदाता-कंपनी की देयता के बारे में एक सचेत और स्वैच्छिक स्वीकृति के समान था, कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के प्रस्ताव

के साथ कोई झगड़ा नहीं है, हालांकि बंगाल सिल्क मिल्स कंपनी (सुप्रा) के मामले में जो विचार किया जा रहा था, वह यह था कि क्या किसी कंपनी की बैलेंस शीट में निहित इस तरह का प्रवेश धारा 19 परिसीमा अधिनियम, 1908 के तहत संशोधन किया गया है या नहीं। एकल न्यायाधीश के समक्ष समापन याचिका की सुनवाई के दौरान भी प्रतिवादी-कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी की बैलेंस शीट में अपीलकर्ता-कंपनी को देय राशि का भुगतान करने के अपने दायित्व से इनकार नहीं किया। याचिका के परीक्षण के दौरान इस संबंध में उठाया गया एकमात्र विवाद यह था कि विचाराधीन राशि 15 अक्टूबर, 1963 को देय और वसूली योग्य नहीं थी, जब अपीलकर्ता कंपनी द्वारा दिवालिया नोटिस, प्रदर्शनी पी 7 जारी किया गया था। अधिनियम की धारा 434 की उप-धारा (1) का खंड (ए) केवल उस मामले पर लागू होता है जहां कंपनी लेनदार को देय राशि का भुगतान करने की उपेक्षा करती है जो नोटिस की सेवा की तारीख पर कंपनी को नोटिस देता है। यह शब्द "तब देय" से स्पष्ट होता है, जो वाक्यांश "कंपनी 500 रुपये से अधिक की राशि में ऋणी है"। यदि दिवालिया नोटिस की सेवा के समय 500 रुपये से अधिक की राशि देय नहीं है और कंपनी उसी का भुगतान करने या ऋण को सुरक्षित या संयोजित करने की उपेक्षा करती है, तो मामला धारा 434 (1) (ए) के तहत नहीं आता है। उस खंड के प्रावधानों को लागू करने के लिए, लेनदार को अन्य बातों के साथ-साथ यह दिखाना होगा कि नोटिस की सेवा के समय उपयुक्त ऋण देय था। तुलन-पत्र प्रदर्शनी आर.डब्ल्यू. 1/3 में निहित अभिस्वीकृति मेरी राय में, इस आशय की स्वीकारोक्ति नहीं है कि विचाराधीन राशि 15 अक्टूबर, 1963 को वसूली योग्य थी। यहां तक कि अगर बैलेंस-शीट में प्रविष्टि को संभवतः यह दिखाने के रूप में माना जा सकता है कि बैलेंस शीट पारित होने की तारीख को राशि वसूली योग्य थी (एक प्रस्ताव जिसे मैं आगे विचार-विमर्श के बिना स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूं) तो यह संभवतः यह बताने के लिए नहीं माना जा सकता है कि राशि बैलेंसशीट के पारित होने से लगभग चौदह महीने पहले देय थी, यानी 15 अक्टूबर 1963 को। इस मामले को देखने का एक और पहलू है। यदि प्रतिवादी-कंपनी और वित्त निगम के बीच निष्पादित समझौते का खंड 22 (जिसमें प्रबंध एजेंट निश्चित रूप से एक पक्ष थे) प्रबंध एजेंटों द्वारा 1967 से पहले संबंधित राशि का दावा करने के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है, तो प्रतिवादी-कंपनी द्वारा प्रबंध एजेंटों को देय ऋण से जुड़ी दुर्बलता अपीलकर्ता-कंपनी और प्रबंध के पक्ष में हस्तांतरित होने के बाद भी ऋण से जुड़ी रहेगी और एजेंट संभवतः अपीलकर्ता कंपनी को उन लोगों की तुलना में बेहतर अधिकार नहीं बता सकते थे, जो उनके पास थे।

ये परिस्थितियाँ हमें सीधे इस मामले में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार करने के लिए ले जाती हैं, अर्थात्, क्या उत्तरदाता-कंपनी द्वारा प्रबंध एजेंट कंपनी को दिया गया ऋण प्रश्न में समझौते के खंड 22 के अर्थ के भीतर "जमा" था या नहीं। श्री भागीरथ दास ने आग्रह करने की कोशिश की कि इस तथ्य के अलावा कि प्रतिवादी-कंपनी के हाथों में विचाराधीन राशि प्रकृति में नहीं थी। जमा राशि के मामले में ऋण भी खंड 22 के अंतर्गत नहीं आएगा क्योंकि

ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि इसके भुगतान से प्रतिवादी-कंपनी की प्रबंध एजेंटों आदि को देयता 4,50,000 रुपये से कम हो जाएगी, जो खंड 22 के पीछे शरण लेने के लिए दूसरी शर्त थी। श्री बी.आर.तुली ने तर्क के दूसरे भाग को इस आधार पर उठाने की अनुमति देने पर गंभीर आपत्ति जताई कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष इस तरह के किसी प्रश्न पर बहस नहीं की गई थी। हालांकि, जब अपीलकर्ता के विद्वान वकील का ध्यान विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में निम्नलिखित अंश की ओर आकर्षित किया गया, तो वकील ने महसूस किया कि आगे बढ़ने की मांग की गई दूसरी दलील उसके लिए उपलब्ध नहीं थी:

> यह भी विवादित नहीं है कि किसी भी समय प्रतिवादी कंपनी के हाथों में जमा राशि 4,50,000 रुपये से अधिक नहीं थी।

इस स्थिति में, अपीलकर्ता-कंपनी के वकील ने अपने तर्क को इस सवाल तक सीमित कर दिया कि क्या प्रतिवादी कंपनी से उसके प्रबंध एजेंटों को देय पारिश्रमिक का बकाया जो प्रतिवादी-कंपनी के बही-खातों में प्रबंध एजेंटों के क्रेडिट के लिए प्रतिवादी-कंपनी के हाथों में छोड़ दिया गया था, को "किसी भी राशि को जमा करने" के चरित्र का हिस्सा कहा जा सकता है..... श्री भागीरथ दास ने तर्क दिया कि प्रतिवादी-कंपनी के हाथों में विचाराधीन राशि एक देयता या जमा थी। *प्रथम दृष्टया* इस तर्क से सहमत होना संभव प्रतीत नहीं होता है। "देयता" वह जीनस है जिसमें से कम से कम दो प्रजातियां (i) ऋण और (ii) जमा हैं। प्रतिवादी-कंपनी ने इस बात पर विवाद नहीं किया है कि विचाराधीन राशि का भुगतान उस पर देयता है। अपीलकर्ता-कंपनी के लिए यह प्रस्तुत करना सही नहीं है कि विचाराधीन देयता को ऋण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऋण का अर्थ आवश्यक रूप से किसी ऐसी वस्तु की विषय-वस्तु से है जिसे लेनदार द्वारा देनदार को उधार दिया गया है, कुछ ऐसा जो ऋणदाता से प्राप्त हुआ है। यह किसी का मामला नहीं है कि प्रतिवादी ने प्रबंध एजेंट कंपनी से ऋण के रूप में राशि ली। साथ ही, केवल यह तथ्य कि विचाराधीन देयता ऋण के भुगतान के लिए नहीं है, स्वचालित रूप से इसका मतलब यह नहीं होगा कि प्रतिवादी-कंपनी के हाथों में विचाराधीन राशि आवश्यक रूप से जमा की प्रकृति की है। "जमा" कला का एक शब्द नहीं है। श्री भागीरथ दास ने प्रस्तुत किया कि "जमा" का अर्थ आवश्यक रूप से जमाकर्ता द्वारा जमाकर्ता को दिया जा रहा धन है, हमें नहीं लगता कि यह एक निर्णायक परीक्षण है। एक व्यक्ति सुरक्षित अभिरक्षा के लिए या बैंकर को ब्याज अर्जित करने के लिए धन दे सकता है। यह उसकी जमा राशि होगी। यदि राशि ब्याज अर्जित करने के लिए जमा की जाती है और बैंक जमाकर्ता के खाते में ब्याज की राशि जमा करता है, तो ब्याज के रूप में जमा की गई राशि भी जमा का एक हिस्सा होगी, हालांकि उस विशेष राशि को जमाकर्ता द्वारा बैंक को कभी नहीं सौंपा गया था। यदि प्रतिवादी-कंपनी और सेठ ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड के बीच यह व्यवस्था थी कि सेठ ब्रदर्स प्राइवेट लिमिटेड को पूर्व से देय पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि प्रबंध एजेंटों के लिए ब्याज अर्जित करने के लिए प्रतिवादी-कंपनी के पास जमा रहना चाहिए, तो राशि आवश्यक

रूप से जमा की प्रकृति का हिस्सा होगी। प्रबंध एजेंसी करार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। न ही हमारे सामने कोई सबूत है, एक दिन या दूसरे दिन, यह दिखाने के लिए कि प्रबंध एजेंटों को देय पारिश्रमिक की राशि प्रतिवादी-कंपनी के पास जमा रही और ब्याज अर्जित करना जारी रखा, लेकिन भुगतान नहीं किया गया।

फ्राई, एल.जे. इन ***होवे बनाम स्मिथ, एल.आर. 27 सी.डी. 89*** में पृष्ठ 101 पर कहा गया है कि "जमा के रूप में भुगतान किए गए धन, मुझे लगता है, निहित या व्यक्त की गई कुछ शर्तों पर भुगतान किया जाना चाहिए"। उस मामले में आगे यह देखा गया कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर भुगतान किए गए धन के मामले में सबसे स्वाभाविक रूप से निहित शर्तें यह हैं कि अनुबंध किए जाने की स्थिति में इसे ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन यदि अनुबंध भुगतानकर्ता द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है, तो यह आदाता की संपत्ति बनी रहेगी। ***(नवाब मेजर महोदय) मोहम्मद अकबर खान बनाम अतर सिंह और अन्य, एआईआर 1936 प्रिवी काउंसिल 171 में,*** ऋण को जमा राशि से अलग करते समय यह देखा गया था कि यह याद रखना चाहिए कि दो शर्तें पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं और धन की जमा राशि विशिष्ट मुद्रा के संग्रह तक ही सीमित नहीं है। उपरोक्त मामले में लॉर्ड एटकिन द्वारा आगे कहा गया था कि एक जमा में आवश्यक रूप से एक ट्रस्ट का निर्माण शामिल नहीं था, लेकिन इसमें एक देनदार और लेनदार के संबंध का निर्माण शामिल हो सकता है। इस संबंध में प्रिवी काउंसिल ने सबसे स्पष्ट अंतर का उल्लेख किया था, वह यह था कि जमा एक निश्चित अवधि के लिए नहीं है, जो जमाकर्ता पर जमाकर्ता की तलाश करने और उसे चुकाने के लिए तत्काल दायित्व नहीं डालता है। जमाकर्ता को मांगे जाने तक पैसा रखना होता है। इसलिए, जमाकर्ता द्वारा मांग जमाकर्ता और जमाकर्ता के बीच समझौते की किसी अन्य शर्तों के अभाव में पुनर्भुगतान करने के लिए जमाकर्ता के दायित्व की एक सामान्य शर्त प्रतीत होगी। प्रतिवादी-कंपनी और वित्त निगम के बीच समझौते के खंड 22 के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, अर्थात अनुमति न देना। प्रतिवादी-कंपनी के निदेशक या प्रबंध एजेंट वित्त निगम की राशि का भुगतान किए जाने तक उन्हें देय धन प्राप्त करेंगे और इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रतिवादी-कंपनी का प्रबंधन स्वयं मेसर्स सेठ ब्रदर्स, प्राइवेट लिमिटेड के हाथों में था, जो सामान्य रूप से, यदि वे चाहें, तो समय-समय पर उन्हें देय पारिश्रमिक निकाल सकते थे और आगे यह राशि कंपनी के हाथों में थी। उत्तरदाता-कंपनी प्रबंध एजेंटों के पक्ष में ब्याज अर्जित कर रही थी, ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादी कंपनी का यह तर्क कि विचाराधीन ऋण जमा की प्रकृति में था, तुच्छ नहीं है। हमें मामले के इस पहलू पर अंतिम रूप से फैसला सुनाने के लिए नहीं बुलाया गया है, हम केवल इस सवाल का जवाब देने के लिए चिंतित हैं कि क्या 15 अक्टूबर, 1963 को देय ऋण के बारे में विवाद इतनी तुच्छ प्रकृति का है कि इसे वास्तविक नहीं कहा जा सकता है या क्या विचाराधीन ऋण को "वास्तविक" विवादित माना जा सकता *है,* एक कारण उपर्युक्त विवाद है। पहले से ही दिए गए कारणों के लिए हम यह सोचने के इच्छुक हैं

कि वास्तव में इस तथ्य के बारे में एक *वास्तविक* विवाद था कि क्या प्रतिवादी-कंपनी द्वारा प्रबंध एजेंटों को दिवालिया नोटिस की तारीख यानी 15 अक्टूबर, 1963 को भुगतान की गई राशि थी या नहीं; और यह कि विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही था कि यह एक ऐसा मामला था जिसे पार्टियों के बीच सुलझाया जाना चाहिए। ऋण की वसूली के लिए उचित कार्यवाही दायर करना और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए समापन कार्यवाही का उपयोग नहीं किया जा सकता है। यहां यह देखा जा सकता है कि अपीलकर्ता-कंपनी के विद्वान वकील ने हमसे यह तथ्य वापस नहीं रखा कि अपीलकर्ता-कंपनी ने प्रतिवादी-कंपनी के खिलाफ विचाराधीन राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है जो एक सक्षम सिविल कोर्ट में लंबित है। हमें इन टिप्पणियों से यह संकेत देने के लिए नहीं समझा जा सकता है कि मुकदमा दायर करने का इन कार्यवाहियों पर कोई कानूनी प्रभाव पड़ता है। यदि दावे को समय पर या किसी अन्य कारण से रोकने से बचाने के लिए अपीलकर्ता-कंपनी ने राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर किया है, तो इसका समापन याचिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसका भाग्य अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (1) के खंड (ए) की वैधानिक आवश्यकताओं की सभी शर्तों को पूरा करने पर निर्भर करता है।

श्री भागीरथ दास ने ***हरिनगर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड, बॉम्बे बनाम एम. डब्ल्यू. प्रधान (अब जीवी दलवी) कोर्ट रिसीवर, उच्च न्यायालय, बॉम्बे, एआईआर 1966 सुप्रीम कोर्ट 1707 में सुप्रीम कोर्ट*** के अपने लॉर्डशिप के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि एक उचित ऋण के भुगतान को लागू करने के लिए समापन याचिका पूरी तरह से उचित उपाय है और यह निष्पादन का एक तरीका है जो न्यायालय एक लेनदार को एक कंपनी के खिलाफ देता है जो अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ है। इस मामले में आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि श्री बीnआर तुली ने यह तर्क नहीं दिया कि समापन याचिका सुनवाई योग्य नहीं थी क्योंकि यह एक सिविल मुकदमे की सामान्य प्रक्रिया का सहारा लिए बिना एक दंडात्मक प्रक्रिया द्वारा राशि वसूलने का एक उपकरण मात्र था। सुब्बा राव, जे. (जैसा कि वह तब थे) ने हरिनगर शुगर मिल्स कंपनी (सुप्रा) के मामले में ***डब्ल्यूटी हेनले टेलीग्राफ वर्क्स कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता बनाम गोरखपुर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड, इलाहाबाद, एआईआर 1936 इलाहाबाद 840*** मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश को इस आशय से खारिज या विवाद नहीं किया कि किसी विलायक कंपनी पर लेनदार द्वारा ऋण की मांग के नोटिस की सेवा लेनदार को समापन आदेश के लिए पात्र नहीं बनाती है, यदि कंपनी *ने ऋण* के अस्तित्व पर विवाद किया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देने के बाद विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मामले में ऋण के अस्तित्व के बारे में कोई वास्तविक विवाद नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अनुपात वर्तमान मामले में शामिल विवाद को सुलझाने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है। यह स्थापित कानून है कि नोटिस की तारीख पर ऋण का भुगतान करने के लिए कंपनी की देयता के संबंध में *एक वास्तविक* विवाद

के अस्तित्व के मामले में, कंपनी द्वारा इसका भुगतान न करना अधिनियम की धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर राशि का भुगतान करने की "उपेक्षा" नहीं है। मूल मामला जिस पर कानून की इस शाखा की स्थापना की गई है, ***वह है लंदन और पेरिस बैंकिंग कॉर्पोरेशन, 19 (1874) इक्विटी मामले 444।***

श्री भागीरथ दास ने एकल न्यायाधीश के निर्णय में इस आशय की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई कि दोनों समूहों के बीच विवाद के संबंध में रामजी दास समूह पर दबाव बनाने के लिए स्थानांतरण किया गया था। हमने प्रतिवादी-कंपनी द्वारा उठाए गए विवाद को वास्तविक मानते हुए ऋण की राशि का भुगतान करने की देयता के बारे में उठाया है, इस विवाद में यात्रा करना पूरी तरह से अनावश्यक है। पहले से दर्ज कारणों के लिए हम विद्वान एकल न्यायाधीश से पूरी तरह से सहमत हैं कि यह एक ऐसा मामला नहीं है जहां अधिनियम की धारा 434 (1) (ए) के साथ धारा 433 (ई) के तहत समापन का आदेश दिया जा सकता है। इसके अलावा, विद्वान एकल न्यायाधीश ने धारा 433 (ई) के तहत समापन आदेश पारित करने से इनकार करने में अपने विवेक का प्रयोग किया है, जो प्रावधान एक विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है। हम उस आदेश में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकते जब तक कि हमें यह नहीं दिखाया जा सके कि विवेकाधिकार का उपयोग ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया गया है।

इसलिए, यह माना जाता है कि

i. एक वित्तीय रूप से विलायक कंपनी जो तथ्यात्मक रूप से अपने सभी ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में है, फिर भी अधिनियम की धारा 433 (ई) के तहत न्यायालय के आदेश द्वारा बंद होने का दायित्व उठा सकती है यदि संबंधित लेनदार धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के चार कोनों के भीतर मामले को लाने में सक्षम है;
ii. यदि कोई देनदार-कंपनी स्वीकृत ऋण की राशि का भुगतान करने में विफल रहती है या भुगतान करने से इनकार करती है जो न तो दिवालिया नोटिस की तारीख को भुगतान के लिए देय थी और न ही ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर किसी भी समय देय थी, तो कंपनी को धारा 434 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के अर्थ के भीतर ऋण का भुगतान करने में उपेक्षित नहीं माना जा सकता है क्योकि अभिव्यक्ति के रूप में उस प्रावधान में देय " उसमें उल्लिखित नोटिस की सेवा के समय-समय पर संदर्भ है।
iii. भुगतान करने की देयता के बारे में एक ऋण, या भुगतान करने की देयता के बारे में, जिसे दिवालिया नोटिस की सेवा के समय, एक वास्तविक विवाद है, धारा 434 (1) (ए) के अर्थ के भीतर "देय" नहीं है और ऐसे *वास्तविक* विवादित ऋण की राशि का

भुगतान न करने को धारा 433 (ई) के तहत अधिनियम की धारा 434 (1) (ए) के साथ देयता को वहन करने के लिए "भुगतान करने की उपेक्षा" नहीं कहा जा सकता है।

iv. "देयता" शब्द वह जीनस है जिसमें "जमा" और "ऋण" अन्य प्रजातियों के बीच केवल दो हैं। कोई विशेष देयता जमा की प्रकृति में भाग लेती है या नहीं, यह किसी दिए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस तथ्य के निर्धारण के लिए कोई निर्णायक परीक्षण करना न तो आसानी से संभव है और न ही उचित है कि लेनदार को देय विशेष राशि देनदार के हाथों में है या नहीं। उसी समय यह स्पष्ट है कि "एक ऋण" और "एक जमा" आवश्यक रूप से पारस्परिक रूप से अनन्य नहीं हैं। एक जमा राशि विशिष्ट मुद्रा के भंडार तक ही सीमित नहीं है, जिसे विशेष रूप से वापस किया जाना है न ही एक जमा में आवश्यक रूप से एक ट्रस्ट का निर्माण शामिल है, हालांकि इसमें निश्चित रूप से एक देनदार और लेनदार के रिश्ते का निर्माण शामिल हो सकता है। परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में भी एक अंतर देखा गया है कि जबकि एक जमा जो एक निश्चित अवधि के लिए नहीं है, जमाकर्ता पर जमाकर्ता की तलाश करने और उसे चुकाने के लिए तत्काल दायित्व नहीं लगाता है, इसके विपरीत एक शर्त के अभाव में देनदार पर एक कानूनी कर्तव्य लगाया जाता है, लेनदार की तलाश करना। जबकि भारतीय परिसीमा अधिनियम के तहत जमा राशि की वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करने का समय आम तौर पर उस तारीख से पहले की किसी भी तारीख से नहीं चलता है, जिस दिन भुगतान की मांग की जाती है, उस राशि के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा उस दिन से शुरू होती है जब भुगतान सीमा की अनुसूची में विभिन्न प्रासंगिक लेखों के तहत देय हो जाता है;

v. अधिनियम की धारा 433(ई) के साथ-साथ धारा 434(1)(क) के अंतर्गत समापन याचिका में, देनदार-कंपनी के लिए यह कहना अपने आप में पर्याप्त नहीं है कि लेनदार ने विवाद में ऋण की राशि की वसूली के लिए एक सक्षम सिविल न्यायालय में पहले ही मुकदमा दायर कर दिया है;

vi. यद्यपि हरिनगर शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड (सुप्रा) के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यथा न्यायसंगत ऋण के भुगतान को लागू करने के लिए समापन याचिका पूरी तरह से उचित उपाय है, तथापि यह उपाय न्यायसंगत है और अधिनियम की धारा 433 के अंतर्गत समापन आदेश पारित करना अपने आप में न्यायालय के सुदृढ़ न्यायिक विवेक अधिकार में है। प्रावधान के तहत एक आदेश को *न्याय* या अधिकार के रूप में दावा नहीं किया जा सकता है,

vii. अधिनियम की धारा 433 के अधीन किसी कंपनी को बंद करने से इंकार करने जैसे विवेकाधीन आदेश के विरुद्ध सांविधिक अपील में हस्तक्षेप सामान्यत उचित नहीं है जब तक कि अपीलीय न्यायालय इस बात से संतुष्ट न हो कि नीचे दिए गए न्यायालय

ने ठोस न्यायिक सिद्धांतों के अनुसार अपने विवेकाधिकार का प्रयोग नहीं किया है; और

viii. इस मामले के तथ्यों के आधार पर ऋण *वास्तविक रूप* से विवादित है।

इस मामले में हमारे सामने कोई अन्य बिंदु पर बहस नहीं की गई। तदनुसार अपील विफल हो जाती है और लागत के रूप में किसी भी आदेश के बिना खारिज कर दी जाती है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अनमोल कक्कड़

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer) करनाल, हरियाणा